सोशल मीडिया सेल आजमगढ़

पत्र सं0- 340/21 **दिनांक- 19 जुलाई 2021**

प्रेस-विज्ञप्ति

थाना जहानागंज

अपहरण कर दुष्कर्म के अभियोग में वांछित 02 अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक 14.07.2021 को वादी थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़ द्वारा थाना स्थानीय पर शिकायत के आधार पर मु0अ0सं0- 159/2021 धारा 363 भादवि बनाम मो0न0- 7309 xxxxxx के धारक शोहराब पुत्र मो0 लुकमान निवासी ग्राम सकुराबाद बरहतीर जगदीशपुर थाना जहानागंज जनपद आजमगढ के पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गयी। इसी क्रम में दिनांक 18.07.2021 को लड़की को बरामद कर उसके बयान के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 366.368,376,120 B भादवि व ¾ पाक्सो एक्ट की बढोत्तरी की गयी। दौराने विवेचना अभियुक्त हामिद अन्सारी पुत्र जौहर अन्सारी ग्राम बरहतीर जगदीशपुर थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़ का नाम प्रकाश में आया।

पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह द्वारा अपराध नियंत्रण एवं वांछित ,ईनामिया ,गैगेस्टर की गिरफ्तारी विषयक चलाये जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी सदर के कुशल निर्देशन में मु0अ0सं0 159/2020 धारा 363/366/368/376/120 बी भादवि व ¾ पाक्सो एक्ट से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त 1-शोहराब पुत्र मो0 लुकमान निवासी ग्राम सकुराबाद बरहतीर जगदीशपुर थाना जहानागंज जनपद आजमगढ 2- हामिद अन्सारी पुत्र जौहर अन्सारी ग्राम बरहतीर जगदीशपुर थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़ को आज दिनांक 19. 07.2021 को वरिष्ठ उ0नि0 तौफिक अहमद मय हमराह हे0का0 अवधेश प्रसाद ,का0 मितिश कुमार द्वारा मुखबिर की सूचना पर उपरोक्त दोनो अभियुक्तो को साई ढाबा (बनकटा मुस्तफाबाद) से समय करीब 10.45 बजे गिरफ्तार कर अभियुक्तगण का चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

पूछताछ विवरणः- शोहराब पुत्र मो0 लुकमान ग्राम बरहतीर जगदीशपुर थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 20 वर्ष बदरियाफ्ता जुर्म इकबाल कर बता रहा है कि साहब नेहा (काल्पनिक नाम) थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़ मेरे साथ जूनियर हाईस्कूल तुलसीपुर मे पढी थी उसके बाद वह लखनऊ पढ़ने के लिये चली गयी। आज से लगभग 6 माह पहले मेरी मुलाकात नेहा से कस्बा जहानागंज में हुई और वही पर बातचीत हुई और हम दोनो एक दूसरे का नम्बर ले लिये और मोबाईल से बातचीत होने लगी और हम दोनो आपस मे प्रेम करने लगे साहब मै नेहा से कहा कि चलो शादी कर लेते है और मै नेहा से बातचीत करके अकेले जबलपुर चला गया और बाद में मोबाईल से दिनांक 14.7.2021 को नेहा को अपने पास जबलपुर बुला लिया जबलपुर में पहले से मेरा दोस्त हामिद

अन्सारी पुत्र जौहर अन्सारी ग्राम बरहतीर जगदीशपुर थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़ रहता था मै उसी के पास चला गया और मुझे तथा नेहा को अपने पास रख लिया और हम तीनो लोग जबलपुर से इन्दौर पहुंचे और वही पर एक होटल में हामिद अन्सारी कमरा लिया एक कमरे में मै तथा   नेहा रात में पति पत्नी की तरह से रहे तथा दूसरे कमरे मे हामिद अन्सारी सोने के लिये चला गया इसके बाद सूचना मिली कि नेहा के पिता जी थाना जहानागंज में मुकदमा लिखवा दिये है तो हम तीनो लोग इंदौर से वापस लौटकर आजमगढ़ में वकील से राय मशविरा के लिये आये और मन्दे बाजार मे हम दोनो लोगो दिनांक 18.7.2021 को पुलिस को देखकर भाग गये साहब भविष्य में दुबारा गलती नही करूगां।

पूछ-ताछ विवरणः - हामिद अन्सारी पुत्र जौहर अन्सारी ग्राम बरहतीर जगदीशपुर थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 20 वर्ष बदरियाफ्त बता रहा है कि साहब मै काफी गरीब आदमी हूँ मै हैदराबाद में प्राइवेट नौकरी करता हूँ सोहराब अन्सारी पुत्र मो0 लुकमान ग्राम बरहतीर जगदीशपुर थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़ मेरा काफी घनिष्ठ मित्र है मो0 शोहराब अन्सारी ने फोन कर बताया कि मै नेहा थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़ से प्यार करता हूँ और मै   नेहा को लेकर तुम्हारे पास आने वाला हूँ तुम मेरी मदद कर देना और रहने के लिये व्यवस्था कर देना मै शोहराब अन्सारी की सूचना पाकर हैदराबाद से जबलपुर आ गया और जबलपुर में ही शोहराब अन्सारी मुझसे मिला और हम दोनो वही पर थे तब तक नेहा भी जबलपुर पहुंच गयी और हम तीनो लोग इंदौर पहुच गये और इंदौर में मैने एक होटल मे दो कमरा ले लिया होटल का नाम नही जानता हूँ एक कमरे में   नेहा व शोहराब अन्सारी सो गये और मै दूसरे कमरे में सो गया बाद में जानकारी मिली कि नेहा के पिता जी मुकदमा लिखवाये है तो हम तीनो लोग वकील से राय मशविरा के लिये आजमगढ़ आ गये और मन्दे में पुलिस को देखकर मै तथा शोहराब अन्सारी भाग लिये साहब मेरी यही गलती है कि शोहराब अन्सारी व   नेह को होटल मे कमरा दिलवा दिया मुझे बचा लिजिये भविष्य मे ऐसा दुबारा गलती नही करूंगा।

पंजीकृत अभियोगः-

मु0अ0स0 159/20 धारा 363/366/376/368/120बी भादवि व 3/4 पाक्सो एक्ट

गिरफ्तार अभियुक्तः-

1- शोहराब पुत्र मो0 लुकमान ग्राम बरहतीर जगदीशपुर थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़

2- हामिद अन्सारी पुत्र जौहर अन्सारी ग्राम बरहतीर जगदीशपुर थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरणः-

1-व0उ0नि0 तौफिक अहमद

2-हे0का0 अवधेश प्रसाद

5-का0 मितिश कुमार

<u>थाना- जीयनपुर</u>

<u>गैंगेस्टर में वांछित 01 नफर अभियुक्त गिरफ्तार</u>

पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण, क्षेत्राधिकारी सगड़ी के आदेश/चलाये जा रहे अभियान वाँछित अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु प्रभारी निरीक्षक हिमेन्द्र सिंह मय हमराह का0 शशांक मिश्रा , का0 राहुल सिंह, का0 निलेश प्रताप सिंह, म0आ0 शिवनी सिंह, म0आ0 शालिनी सिंह के थाना हाजा से रवाना होकर देखभाल क्षेत्र ,चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति/वाहन मे मामूर थे की उ0नि0 अखिलेशचन्द्र पाण्डेय को तलब कर वांछित अपराधी के घर दविश हेतु रवाना होकर रात्रि गस्त करते हु ए मु0अ0सं0 187/2021 धारा 3(1) यू0पी0 गै0एक्ट से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त अरशद उर्फ बहुधा पुत्र एकलाख निवासी ग्राम कुरैशनगर थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ के घर पर दविश दी गयी , अभियुक्त अरशद उर्फ बहुधा उपरोक्त घर पर मौजूद मिला, नाम पता तस्दीक होने पर कारण गिरफ्तारी बताते हुये बजाफ्ता बाकायदा समय करीब 04.35 बजे हिरासत पुलिस मे लिया गया। अभियुक्त को गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>-

अरशद उर्फ बहुधा पुत्र एकलाख निवासी ग्राम कुरैशनगर थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़

<u>आपराधिक इतिहास</u>-

1. मु0अ0सं0 56/2021 धारा 307/34 IPC थाना जीयनपुर
2. मु0अ0सं0 मु0अ0सं0 57/2021 धारा 411/413/419/420/467/468/471 भा0द0वि0 थाना जीयनपुर
3. मु0अ0सं0 187/2021 धारा 3(1) उ0नि0 गिरोहबन्द समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम 1986

<u>गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम</u>-

1. SHO हिमेन्द्र सिंह प्रभारी निरीक्षक थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़
2. उ0नि0 अखिलेश चन्द्र पाण्डेय थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़
2. का0 शशांक मिश्रा थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़
3. का0 राहुल सिंह थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़
4. का0 नीलेश प्रताप सिंह थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़
5. म0आ0 शिवानी सिंह थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़
6. म0आ0 शालिनी सिंह थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़

नोट-जनपद आजमगढ़ के समस्त थाना द्वारा शान्ति व्यवस्था हेतु कुल 22 व्यक्तियों के विरूद्ध 151 सीआरपीसी की कार्यवाही की गयी है।